उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्याल में दिनांक 26.11.2025 को प्रशासनिक भवन के ई0सी0 हॉल में आयोजित हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1. प्रो0 (डॉ0) रमाकान्त यादव, प्रति कुलपति।
2. प्रो0 (डॉ0) एस0पी0 सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
3. प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह, चिकित्सा अधीक्षक।
4. प्रो0 (डॉ0) मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग।
5. प्रो0 (डॉ0) सुनील कुमार, विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक विभाग।
6. प्रो0 (डॉ0) कल्पना कुमारी, विभागाध्यक्ष आब्स एण्ड गायनी विभाग।
7. प्रो0 (डॉ0) जितेन्द्र चौहान, विभागाध्यक्ष ई0एन0टी0 विभाग।
8. प्रो0 (डॉ0) प्रशांत कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष इमरजेन्सी विभाग।
9. प्रो0 (डॉ0) दिनेश कुमार, विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक्स विभाग।
10. प्रो0 (डॉ0) मीनू बब्बर, प्रोफेसर, आप्थलमोलॉजी विभाग ।
11. प्रो0 (डॉ0) एम0ए0 खान, प्रोफेसर जू0ग्रेड, यूरोलॉजी विभाग।
12. डॉ0 अंकित मित्तल, प्रोफेसर जू0 ग्रेड, आर्थोपेडिक विभाग ।
13. डॉ0 श्वेता एस0 कुमार, प्रोफेसर जू0 ग्रेड, डर्मेटोलॉजी विभाग ।
14. डॉ0 दुर्गेश कुमार, प्रोफेसर जू0 ग्रेड, पीडियाट्रिक विभाग।
15. डॉ0 राफे ए0 रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर, पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभाग।
16. डॉ0 रश्मि भुजाड़े, एसोसिएट प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन।
17. डॉ0 अतुल सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, प्लास्टिक सर्जरी ।
18. डॉ0 विनय कनौजिया, एसोसिएट प्रोफेसर, पी0एम0आर0 विभाग।
19. डॉ0 सजग कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी विभाग ।
20. डॉ0 आदित्य शिवहरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रभारी ब्लड बैंक।
21. डॉ0 हिमान्शु प्रिंस यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, उप चिकित्सा अधीक्षक,इमरजेंसी एण्ड ट्रामा।
22. श्री के0बी0 अग्रवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
23. श्रीमती अनुराधा सिंह राजपूत, चीफ फर्मासिस्ट।
24. श्री मनोज कुमार, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफीसर।

विश्वविद्यालय में स्थातिप चिकित्सालय के सुचारू संचालन, नव निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर में चिकित्सीय सेवायें प्रारम्भ करने, अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों का समुचित उपयोग एवं रोगी कल्याण सम्बन्धी प्रभावी निर्णय लिये जाने हेतु हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक में निम्नलिखित एजेण्डा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गये :–

एजेन्डा **बिंदु / विषय**	एजेण्डा **टिप्पणी**
एजेण्डा बिंदु 1.1 इमरजेन्सी एवं ट्रामा में मरीजों की संख्या में वृद्धि	**प्रस्तावना :** विश्वविद्यालय स्टेट हाईवे तथा नेशनल हाईवे एवम् लखनऊ आगरा एक्सप्रेस–वे के पास स्थित है। अतः वर्तमान में इमरजेन्सी में मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 23.10.2025 को निर्देश दिए गए कि इमरजेन्सी सेवाओं के विस्तार के लिए इमरजेन्सी एवं ट्रामा बिल्डिंग में खाली पड़े स्थानों का प्रभावी

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences

के दृष्टिगत इमरजेन्सी जोन का विस्तार किये जाने हेतु ।	उपयोग और अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाई जाए। इमरजेन्सी एवं ट्रामा बिल्डिंग के प्रथम तल पर स्थित कक्ष संख्या 101, 102, 103 एवं ऑर्थो पी0जी0 टीचिंग रूम के हॉल को खाली कराने एवं उक्त कक्षों को इमरजेंसी जोन के रूप में परिवर्तित करने हेतु भी निर्देशित किया गया । उक्त क्रम में की गयी कार्यवाही निम्नवत है:– 1. कक्ष संख्या 102 को इमरजेन्सी ड्यूटी डॉक्टर रूम बना दिया गया है । 2. कक्ष संख्या 103 को इमरजेन्सी ड्यूटी स्टाफ रूम बना दिया गया है । 3. विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक्स को पत्रांक संख्या 829/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 18 नवम्बर, 2025 के द्वारा ऑर्थो पी0जी0 टीचिंग रूम हेतु ओल्ड ओ0पी0डी0 बिल्डिंग में भूतल पर कक्ष संख्या 54 (सेमिनार हाल) आवंटित किया गया एवं इमरजेन्सी बिल्डिंग के प्रथम तल पर पूर्व से आवंटित स्थान को इमरजेन्सी जोन हेतु खाली करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसे शीघ्र ही विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक द्वारा खाली कर दिया जाएगा । 4. उक्त कम में कक्ष संख्या 101 में स्थापित स्लीप लैब को 500 बेडेड सुपरस्पेशलिटी में शीघ्र स्थानान्तरित किया जाएगा । 5. 14 बैडेड इमरजेन्सी जोन संचालित किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को बैड हैड पैनल विद ऑक्सीजन सप्लाई सक्शन व कम्प्रैस्ड एअर की व्यवस्था किये जाने हेतु पत्रांक 776/एम0एस0/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 01.11.2025 के माध्यम से चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियन्ता के द्वारा कार्यदायी संस्था मेसर्स उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को पत्रांक 476/यू0पी0यू0एम0एस0/ 2025–26 दिनांक 06.11.2025 प्रेषित किया गया । 6. उक्त क्रम में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) के द्वारा अपने पत्रांक 1148/रानिनि/इ.यू.ई./आगणन/2025 दिनांक 13.11.20025 के माध्यम से **रू0 22.92 लाख का प्रस्ताव वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया ।** 7. पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु कुलसचिव कार्यालय को अग्रेसित की गयी। अतः मरीजों के हित में इमरजेन्सी एवं ट्रामा के प्रथम तल में 14 बैडेड इमरजेन्सी जोन संचालित किये जाने हेतु **उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम** के पत्रांक 1148/रानिनि /इ.यू.ई. /आगणन/ 2025 दिनांक 13.11.20025 के माध्यम से कराये जाने हेतु **रू0 22.92 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्तुति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।** **प्रस्ताव** : उक्त कार्य टेन्डर के माध्यम से किए जाने के संबंध में प्रस्ताव हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय:– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त कार्य करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए ओपेन टेंडर के माध्यम से कराने की संस्तुति प्रदान की गयी।	
एजेण्डा बिंदु 1.2 विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में उपकरणों और फर्नीचर को	**प्रस्तावाना** : विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में कई Department specific & Common उपकरणों का Installation किया जा चुका है । वर्तमान में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय की आई0पी0डी0 संचालित नहीं होने के कारण उक्त उपकरणों का उपयोग नहीं हो पा रहा है । अतः मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त उपकरणों एवं फर्नीचार को स्पेशलिटी चिकित्सालय में

प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Saifai - Etawah

<table>
<tr>
<td>स्पेशलिटी चिकित्सालय में संचालित सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी विभागों में आवश्यक्तानुसार स्थानान्तरित किए जाने हेतु ।</td>
<td>संचालित सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी विभागों में स्थानान्तरित करने हेतु निम्नवत कार्यवाही की गयी :-
1. स्पेशलिटी चिकित्सालय में संचालित सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गये मांग पत्र के कम में औचित्य अनुसार स्थापित कराए जाने हेतु पत्रावली संख्या 164/एमएस/यूपीयूएमएस/25-26 के माध्यम से चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मा0 कुलपति महोदय से अनुरोध किया गया ।
2. मा0 कुलपति महोदय के द्वारा दिनांक 07.11.2025 को उक्त क्रम में 05 सदस्यों की समिति गठित करते हुए उक्त प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण कारणों के साथ आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. उक्त क्रम में 05 सदस्यों की समिति का गठन कार्यालय आदेश संख्या 797/यूपीयूएमएस/ एमएस(114) दिनांक 11 नवम्बर, 2025 के माध्यम से चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा किया गया ।
4. समिति के द्वारा स्पेशलिटी चिकित्सालय में संचालित सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गये मांग पत्र के औचित्य का परीक्षण करते हुए 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में स्थापित उपकरणों और फर्नीचर को स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव संलग्न शीट के अनुसार प्रस्तुत है।
उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत 08 बेड न्यूरोसर्जरी एचडीयू एवं 06 बेड मेडिसिन एचडीयू स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में वेन्टीलेटर/मॉनीटर न्यूरोसर्जरी वार्ड एवं मेडिसिन वार्ड में स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें वित्तीय भार शून्य है।
<u>प्रस्ताव</u> : मरीजों के हित में उक्त कार्यवाही को हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा अनुमति प्रदान करने हेतु ।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u>– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय की आई0पी0डी0 संचालित नहीं होने के कारण वहाँ स्थापित समस्त उपकरण जिन्हें स्थानान्तरित किया जा सकता है उक्त प्रस्तावानुसार स्थानान्तरित करने एवं शेष उपकरणों एवं फर्नीचर को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में सुरक्षित रखने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी ।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिंदु</u> 1.3
विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु ।</td>
<td><u>प्रस्तावना :–</u>विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ किये जाने हेतु श्री प्रेम पाल सिंह एवं श्री रूपेश कुमार, सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2025 को कुल 636 (पूर्व से कार्यरत सुरक्षा कार्मिक 212 + 424 नयी मांग) सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यक्ता का प्रस्ताव चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था किंतु उक्त प्रस्ताव को कार्यपरिषद की तेरहवी बैठक दिनांक 11.10.2025 में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः 13वी कार्यपरिषद में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में केवल 100 (88 सुरक्षा कर्मी एवं 12 सुपरवाइजर) सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
1. वर्तमान में विश्वविद्यालय को कुल 300 सुरक्षा कार्मिक एवं 12 सुपरवाइजर की</td>
</tr>
</table>

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Saifai - Etawah

नियुक्ति उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) के माध्यम से किए जाने का अनुमोदन प्राप्त है।

2. उक्त अनुमोदन के क्रम में वर्तमान में मात्र 212 सुरक्षा कार्मिक ही कार्यरत है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में समस्याएँ आ रही हैं।
3. सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 06 नवम्बर 2025 को वर्तमान में 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यक्ता से अवगत कराया गया । सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा विस्तार से प्रत्येक बिल्डिंग जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अस्पताल परिसर, पार्किंग व्यवस्था, ओल्ड तथा न्यू आवासीय परिसर, पैरामेडिकल कैम्पस इत्यादि में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिसे सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है ।
4. उक्तानुसार सुरक्षा व्यवस्था को संदृढ़ करने हेतु सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	पदनाम	कार्यरत	13वी कार्य परिषद से स्वीकृत पद	सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित मांग
1	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01	–	–
2	लेडीज सुरक्षा गार्ड	28	–	17
3	सुरक्षा गार्ड	134	88	341 (341–88=253)
4	गनमैन	50	–	48
5	सुपरवाईजर	निल	12	18 (18–12=06)
		212	100	424 (424–100=324)

प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि एवं उक्त सुरक्षा कार्मिकों को सर्विस कान्ट्रेक्ट के माध्यम से staggered manner में लिए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदु प्रस्तावित हैं :–

1. सर्वप्रथम 100 (88 सुरक्षा कार्मिक + 12 सुपरवाइजर)अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव को 13वीं कार्यपरिषद में दिनांक 11.10.2025 को प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 100 उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लेने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए एवं यूपीपूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा अतिरिक्त 100 सुरक्षा कार्मिकों विश्वविद्यालय को न उपलब्ध कराने की दशा में उक्त प्रस्ताव को अगली कार्यपरिषद में ओपेन टेंडर हेतु प्रस्तुत किया जाए।
2. 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि एवं उक्त सुरक्षा कार्मिकों को सर्विस कान्ट्रेक्ट के माध्यम से staggered manner में लिए जाने के प्रस्ताव हेतु संस्तुति प्रदान करते हुए कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University of Medical Sciences
Saifai - Etawah

<table>
<tr><td colspan="2">हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः–हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि एवं उक्त सुरक्षा कार्मिकों को सर्विस कान्ट्रेक्ट के माध्यम से staggered manner में लिए जाने के निर्णय पर कार्यपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 1.4
विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में अक्सर होने वाली चोरी की घटना के रोकथाम हेतु ।</td><td>प्रस्तावना :–अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय से प्रायः एमसीबी बोर्ड, विद्युत/केबल तार एवं अन्य सामग्रियों के चोरी होने के पत्र प्राप्त प्रशासन को प्राप्त होते रहते हैं। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है :–
1. 500 बैडेड सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय का हैण्डओवर विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है ।
2. उक्त परिसर में कार्य कर रहे 12 सुरक्षा कार्मिक का एम0ओ0यू0 विश्विद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। उक्त एमओयू मेसर्स उमंग सुरक्षा प्रा0 लि0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है।
3. कार्यदायी संस्था के डी0पी0आर0 में उक्त स्थल पर 398 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने का प्राविधान है, किंतु संस्था द्वारा अभी तक एक भी सी0सी0टी0वी0 कैमरा उक्त स्थल पर नहीं लगाया गया है ।
प्रस्ताव : अतः उक्त बिंदुओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में अक्सर होने वाली चोरी की घटना के रोकथाम हेतु निम्नलिखित बिंदु पर अनुमति प्रस्तावित है :–
1. आवश्यक्तानुसार सुरक्षा के दृष्टिगत 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में स्थापित समस्त उपकरण एवं फर्नीचर को स्पेशलिटी चिकित्सालय में संचालित सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी विभागों में स्थानान्तरित कर दिया जाए ।
2. समस्त फायर एगजिट को तत्काल बंद करवा दिया जाए, जिससे उक्त स्थल से अनाधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सके।
3. सुपर स्पेशलिटी के भूतल पर स्थापित ओपीडी 'ए' एवं 'बी' एवं इसके ऊपर के प्रथम तल पर स्थापित हॉल को ही संचालित रखते हुए शेष स्थल को अग्रेतर आदेशों तक बंद रखा जाए ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त प्रस्ताव को अपनी संस्तुति प्रदान की गयी ।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 1.5
विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।</td><td>अवगत कराना है विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आदेश सं0 3326 दिनांक 22 अक्टूबर, 2025 के द्वारा मा0 कुलपति महोदय ने 08 सदस्यीय समिति का गठन किया गया एवं समिति को अपनी आख्या 07 दिवसों में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त निर्देशों के कम में की गयी कार्यवाही निम्नवत है :–
1. समिति द्वारा दिनांक 23.10.2025 की बैठक में के0जी0एम0यू0 ,एस0जी0पी0जी0आई0 तथा राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ</td></tr>
</table>

प्रो० (डॉ०) अमित सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.... सैफई, इटावा

Pro Vice Chan...
U P University Of M...
Saifai - Etawah

में कार्यरत रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किए जाने हेतु क्या व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय के क्रम में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को पत्रांक संख्या 135/134/133 दिनांक 23 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। किंतु उक्त पत्रों के संदर्भ में कोई सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई ।

2. दिनांक 04.11.2025 को आयोजित बैठक में 08 सदस्यीय समिति द्वारा रेजीडेन्ट डॉक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में SOP for Medical Facility to residents (JR and SR) and UG Students of all faculties of UPUMS तैयार की गयी :–

SOP for Medical Facility to Residents (JR and SR) and UG students of all faculties of UPUMS

A. Residents (JR/SR)

1. All the residents will be provided with all the medical facilities available in the University as provided to other employees of UPUMS during their specified term of work.
2. Deductions for the above services will be done under heading "Medical Deduction" from their monthly salary as per the pay scales of residents (JR/SR).
   a. Pay Level 10 : Deduction Rs. 70.00 per month
   b. Pay Level 11 : Deduction Rs. 100.00 per month
3. However, no medical reimbursement for treatment done outside the University will be admissible.
4. Dependents of the residents will not be entitled for the above mentioned medical benefits.

B. UG Students of all Faculties

1. All the UG students will be provided with OPD and Emergency facilities as recommended by the consultant, free of cost and with no deductions from their annual fee.

- For smooth implementation of the proposed medical facilities for residents and UG students a health card can be issued mentioning the details of residents/student and validity period of the card by the respective Deans of the Faculties.
- Health card need to be submitted by card holder at the completion of course/tenure for granting relieving certificate as part of no-dues application from the University.

3. समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त तैयार की गयी SOP को अनुमोदन हेतु मा0 कुलपति महोदय के समक्ष पत्रावली के माध्यम से प्रस्तुत की गयी थी। जिस पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा टिप्पणी की गयी कि Put this for hospital board & then to EC ।

प्रस्ताव :– अतः विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को

सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Saifai - Etawah

	निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने एवं स्वास्थ्य कार्ड बनवाने हेतु समिति द्वारा प्रस्तुत SOP for Medical Facility to residents (JR and SR) and UG Students of all faculties of UPUMS को हॉस्पिटल बोर्ड से अनुमन्य कराते हुए कार्यपरिषद की बैठक में रखने हेतु निर्णयार्थ ।

<u>**हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः**</u>– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी एवं सीटी/एमआरआई हेतु कन्सलटेंट के हस्ताक्षर, संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर की व्यवस्था को अनिवार्यतः लागू करने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा बिंदु 1.6</u>

विश्वविद्यालय में कार्यरत् नॉन पी0जी0 जे0आर0 जो लम्बे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे है उनके संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने विषयक।

<u>**प्रस्तावना**</u> : विश्वविद्यालय में कार्यरत् नॉन पी0जी0 जे0आर0 जो लम्बे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों का विवरण निम्नवत् है :–

S.No.	Name	Department Alloted after Counseling	DOJ	Biometric No.	Absent		
					From	To	Approx Days till 21.11.2025
1	Dr. Sankit Kumar	Neurology	07.06.2024	951839	06.01.2025	Till date	320
2	Dr. Ridita Sharma	Paediatrics Surgery	08.06.2024	951844	09.06.2024	07.07.2024	29
					09.07.2024	28.08.2024	51
					18.09.2024	Till date	430
3	Dr. Bhavya Shukla	Cardiology	10.06.2024	951854	26.07.2024	11.08.2024	17
					12.08.2025	Till date	102
4	Dr. Shyam Bajpai	Neuro Surgery	07.06.2024	951824	28.02.2025	03.08.2025	157
					26.08.2025	Till date	88
5	Dr. Shweta Yadav	General medicine	07.06.2024	951816	08.06.2024	08.07.2024	31
					10.07.2024	23.08.2024	45
					17.09.2024	Till date	431
6	Dr. Mansi Singh	Emergency & Trauma	08.06.2024	951800	01.01.2025	03.08.2025	214
					29.08.2025	Till date	85
7	Dr. Smriti Shukla	General Medicine	06.06.2024	951852	03.03.2025	Till date	264
8	Dr. Vidisha Duhoon	Emergency &Trauma	06.06.2024	951813	07.06.2024	28.06.2024	22
					24.07.2024	14.08.2024	22
					16.08.2024	22.08.2024	7
					26.08.2024	Till date	453
9	Dr. Shreyansh Khare	Radio Diagnosis	05.06.2024	951802	31.01.2025	03.08.2025	185
					06.11.2025	Till date	16
10	Dr. Rajesh Meena	General Medicine	06.06.2024	951811	27.09.2025	Till date	55
11	Dr. Akshay Kumar	General medicine	06.06.2024	951821	05.02.2025	Till date	290

सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू पी यू एम एस, सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University of Medical Sciences
Saifai, Etawah

	Meena						
12	Dr. Vaibhav Singh	CVTS	08.06.2024	951838	23.09.2024	Till date	425
13	Dr. Mohd Suhel	Radio Diagnosis	06.06.2024	952069	03.11.2025	Till date	19
14	Dr. Mohd Hammad Farooq	Neurology	23.06.2025	952043	18.08.2025	Till date	95
15	Dr.Ankita Meena	Urology	23.06.2025	952084	25.08.2025	Till date	88
16	Dr.Kiran Singh	ENT	27.06.2025	952099	28.06.2025	Till date	146
17	Dr. Manisha Dhaka	CVTS	23.06.2025	952049	07.11.2025	Till date	15
18	Dr. Pragati Gaur	CVTS	23.06.2025	952066	07.11.2025	Till date	15

प्रस्ताव :– उक्त समस्त नॉन पी0जी0जे0आर0 जो लम्बे समय से बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं एवं विश्वविद्यालय के परिसर में रहते हुए विश्वविद्यालय के संशाधनों (हॉस्टल, मेस, पुस्तकालय, बिजली, जिम इत्यादि) का प्रयोग कर रहे किंतु अपनी सेवाएँ चिकित्सालय में मरीजों को प्रदान नहीं कर रहे हैं । अतः संबंधित प्रकरण में मरीज हित में निर्णय लेने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित है :–

1. मरीजों के हित में ऐसे समस्त नॉन पी0जी0जे0आर0 जो बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं उन्हें 07 दिन का नोटिस भेजा जाए ।
2. नोटिस अवधि में यदि उक्त नॉन पी0जी0 जे0आर0 अपने तैनाती स्थल पर रिपोर्टिंग नहीं करते तो उन्हें आवंटित कक्ष/हॉस्टल खाली करा दिया जाएगा एवं वरिष्ठता के कम में किसी अन्य नॉन पी0जी0 जे0आर0 जो नियमित रूप से मरीज हित में कार्यरत हो को आवंटित कर दिया जाएगा एवं उनको प्रदान की जा रही समस्त सेवाएँ मेस, पुस्तकालय, बिजली, जिम इत्यादि बंद कर दी जाएंगी।
3. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उक्त नॉन पी0जी0 जे0आर0 के संबंध में सूचना प्रेषित की जाएगी।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति प्रदान की गयी ।

एजेण्डा बिंदु 1.7 हर्बल गार्डन को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव ।	**प्रस्तावाना** :– विश्वविद्यालय में हर्बल गार्डन विकसित करने हेतु की गयी कार्यवाही निम्नवत है :– 1. विश्वविद्यालय में हर्बल गार्डन विकसित करने हेतु यूपीयूएमएस के एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से श्री शरद यादव, टेक्नीकल ऑफिसर को भ्रमण हेतु नामित करते हुए पत्र संख्याः

प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Saifai - Etawah

	कुका0 / 2025सीडी(10–26) / कार्य0आदे0 / 25–26 / 2882 / ई दिनांक 08 नवम्बर, 2025 निदेशक सी0एस0आई0आर0–सीमैप, लखनऊ को प्रेषित किया गया । 2. उक्त पत्र के कम में सीएसआईआर–सीमैप के द्वारा दो वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ0 ऋषिकेश मिरो एवं डॉ0 आर0के0 श्रीवास्तव को श्री शरद यादव को उद्यान, अनुसंधान इकाइयों तथा पौधशाला का भ्रमण करवाने एवं सभी तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने हेतु नामित किया गया एवं उक्त कार्य हेतु निम्नवत निर्देशित किया गया 3. विश्वविद्यालय परिसर में हर्बल गार्डन विकास हेतु उपयुक्त स्थान का चयन किया जाए। 4. उद्यान विकास कार्य में सहयोग हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। 5. सीमैप के सहयोग / पौध प्राप्ति / प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। 6. प्राप्त निर्देशों के कम में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय परिसर में भ्रमण करके गोयल ऑक्सीजन प्लांट के पास उपलब्ध भूमि को हर्बल गार्डन विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया । **प्रस्ताव** :–विश्वविद्यालय द्वारा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में चिन्हित स्थल पर हर्बल गार्डन विकसित करने में किसी भी तकनीकी / स्थलीय समस्या से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियंता को अधिकृत किये जाने हेतु अनुमाति एवं अधिशारी अभियंता द्वारा चिन्हित भूमि के संबंध में सहमति आख्या प्राप्त होने के उपरांत हर्बल गार्डन के सबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन करने एवं हर्बल गार्डन विकसित करने हेतु भविष्य में चिन्हित स्थल पर उक्त प्रस्तावित समस्त कार्यवाही होने के उपरांत उक्त कार्य को विश्वविद्यालय के हार्टीकल्चर अनुबंध के अंतर्गत लाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिंदु 1.8 नर्सिंग संवर्ग के पदधारक–नर्सिंग आफीसर, सीनियर नर्सिंग आफीसर, असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, डिप्टी नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, चीफ नर्सिंग आफीसर के निर्धारित कार्य	**प्रस्तावना** :– नर्सिंग संवर्ग में वर्तमान में पदधारक–नर्सिंग आफीसर, सीनियर नर्सिंग आफीसर, असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, डिप्टी नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, चीफ नर्सिंग आफीसर के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 721 / MS/UPUMS/ 2024–25 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को जारी किया जा चुका है, उक्त आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जा चुका है । **प्रस्ताव** :– नर्सिंग संवर्ग के समस्त कार्मिकों से उक्तानुसार कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

प्रो० (डॉ०) अमित सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Saifai, Etawah

दायित्व निर्धारित/ परिभाषित किये जाने हेतु।	

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा नर्सिंग संवर्ग के पदधारकों से जारी आदेश संख्या 721/MS/UPUMS/ 2024–25 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के अनुसार कार्य लिए जाने हेतु एक समिति (मुख्य नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग यूनियन, चिकित्सालय एवं प्रशासन से नामित सदस्य) गठित करने की संस्तुति प्रदान की गयी । समिति उक्त आदेश में परिभाषित नर्सिंग संवर्ग के पदधारकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व की पुनः समीक्षा करते हुए प्रस्ताव को हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में पुनः प्रस्तुत करेगी ।

एजेण्डा बिंदु 1.9 विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त टेक्नीशियन संवर्ग के कार्य दायित्व निर्धारित करने विषयक ।	**प्रस्तावना :–** विश्वविद्यालय के तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव संबंधित अधिष्ठान से मांगा गया था । अधिष्ठान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संतोषजनक न पाए जाने की दशा में अनुरोध किया जाता है कि समस्त सर्जीकल विभागाध्यक्ष की समिति बनाकर विभाग की आवश्यक्तानुसार कार्य निर्धारित करते हुए अपना प्रस्ताव चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित करेंगे एवं तत्पश्चात आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा । **प्रस्ताव :–** विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त टेक्नीशियन संवर्ग के कार्य दायित्व निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित की जाए । उक्त समिति में समस्त स्टेक होल्डर विभागों से संबंधित चिकित्सक, प्रशासनिक एवं वित्तीय विभाग से संबंधित कार्मिक एवं प्रत्येक टेक्नीशियन संवर्ग से संबंधित एक कार्मिक को सम्मिलित करते हुए उक्त विषय पर अपना सुस्पष्ट प्रस्ताव हॉस्पिटल बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सा अधीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा ।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी ।

एजेण्डा बिंदु 1.10 मेडिकल सोशल सर्विस आफीसर के संवर्ग की स्थनान्तरण पॉलिसी के निर्धारण हेतु ।	**प्रस्तावना :–** श्रीमती दीपिका चौहान, मेडिकल सोशल सर्विस आफीसर द्वारा कुलपति महोदय को प्रेषित शिकायत में अवगत कराया गया कि बिना किसी कारण के उनके निरन्तर स्थानान्तरण किए जा रहे हैं जिससे उनका मनोबल गिर रहा है क्योंकि उनके संवर्ग के अन्य कार्मिकों के लम्बे समय से कोई स्थानान्तरण नहीं हुए हैं। उक्त संबंध में की गयी कार्यवाही निम्नवत है :– 1. चिकित्सा अधीक्षक ने पत्रांक 507/एमएस/यूपयूएमएस /2025–26 दिनांक 30 अगस्त, 2025 के द्वारा प्रति कुलपति महोदय को अवगत कराया कि श्रीमती दीपिका चौहान एमएसएसओ का स्थानान्तरण आब्स एण्ड गायनी विभाग, पीडियाट्रिक्स व वैक्सीनेशन, इमरजेन्सी व पुनः आब्स एण्ड गायनी विभाग में किया गया है एवं **एम्स नई दिल्ली के अनुसार एमएसएसओ की तैनाती इन विभागों में की जाती है**, इस संबंध में कोई specific policy निर्धारित नहीं है। 2. कार्यालय आदेश संख्या 3121/यूपीयूएमएस/प्रोवीसी 2112–सीडी/ 2025–26 दिनांक 09 अक्टूबर 2025 के द्वारा कुलसचिव ने एमएसएसओ के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पॉलिसी निर्धारित करने हेतु 04 सदस्यों की

प्रो० (डॉ०) [illegible] सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Saifai - Etawah

	समिति गठित की । 3. समिति द्वारा दिनांक 30.10.2025 को पत्रांक 456/सीएम/यूपीयूएमएस/2025–26 के द्वारा एमएसएसओ के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पॉलिसी प्रति कुलपति महोदय को प्रेषित की गयी । 4. प्रतिकुलपति महोदय ने अनुमोदन हेतु मा0 कुलपति महोदय को दिनांक 18 नवम्बर, 2025 को प्रेषित की गयी । 5. कुलपति महोदय द्वारा विचारार्थ उक्त पॉलिसी को हॉस्पिटल बोर्ड में रखने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के क्रम में एमएसएसओ की स्थानान्तरण पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित तथ्य विचारार्थ प्रस्तुत है :– • समिति द्वारा स्थानान्तरण की पॉलिसी के बिंदु संख्या 01 में उल्लिखित किया गया है कि एमएसएसओ की तैनाती उन्ही स्थलों पर की जाए जहाँ के लिए एमएसएसओ के पदों का सृजन किया गया है एवं जहॉ एनएमसी के मानकों के अनुसार उनकी तैनाती की जा सकती है, किंतु उक्त निर्णय से संबंधित किसी भी प्रपत्र को समिति के द्वारा अपनी एसओपी में संलग्न नहीं किया गया है । अतः उक्त प्रपत्रों का सबमिट करने हेतु समिति को निर्देशित किया जाए। • स्थानान्तरण पॉलिसी के बिंदु संख्या 03 एवं 04 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एमएसएसओ के स्थानान्तरण में विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः उक्त बिंदु पर पुनर्विचार आवश्यक है। **प्रस्ताव :–** मेडिकल सोशल सर्विस आफीसर संवर्ग के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नयी समिति का गठन उक्त स्थानान्तरण पॉलिसी को नई दिल्ली एम्स में एमएसएसओं हेतु निर्धारित कार्य, उत्तरदायित्व एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित स्थानान्तरण पॉलिसी के बिंदु संख्या 01 से संबंधित प्रपत्रों को संज्ञान में लेते हुए पुर्नविचार करते हुए अपनी आख्या में प्रदान करने हेतु अनुमति।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा समस्त नॉन फैकल्टी कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु भविष्य के लिए पॉलिसी निर्धारित करने हेतु UP Govt Transfer Policy Manual को आधार बनाते हुए uniform policy गठित करने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी ।	
एजेण्डा बिंदु 1.11 विश्वविद्यालय में अमृत फार्मेसी प्रारम्भ करने विषयक ।	**प्रस्तावना :–** विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सालय में दवाइयों, इम्प्लांट, सर्जीकल, डायग्नोस्टिक एवं अन्य सामग्रियों को मरीज हित में सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने हेतु कार्यपरिषद की 13वीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में विश्वविद्यालय परिसर में अमृत फार्मेसी एवं भारतीय जन औषधि केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी । विश्वविद्यालय में अमृत फार्मेसी प्रारम्भ करने हेतु अगस्त, 2025 से की गयी कार्यवाही निम्नवत है :– 1. कार्यालय आदेश संख्या 2044/यूपीयूएमएस/एमएमडी (2051 सीडी) दिनांक 19 अगस्त 2025 के द्वारा विश्वविद्यालय में अमृत फार्मेसी काउन्टर स्थापित

प्रो0 (डॉ0) ... सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Saifai Etawah

किए जाने हेतु 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया ।

2. उक्त समिति द्वारा दिनांक 19.08.2025 01 फार्मेसी स्टोर विश्वविद्यालय के चिकित्सालय परिसर में एवं 01 फार्मेसी स्टोर सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में स्थापित करने हेतु सहमति प्रदान की गयी । उक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एचएलएल लाइफकेयर लि0 को कुलसचिव के माध्यम से पत्र प्रेषित कर के0जी0एम0यू0 लखनऊ एम्स रायबरेली एवं गोरखपुर, तथ GIMS ग्रेटर नोयडा के MOU प्राप्त कर उनका अध्ययन कर लिया जाय।
3. पत्रांक 1906/यूपीयूएमएस/संकायाध्यक्ष चि0–88/2025–26 दिनांक 04 सितम्बर, 2025 के द्वारा मेसर्स एच0एल0एल0 लाइफकेयर लि0 समस्त संबंधित संस्थानों के एमओयू प्राप्त कराने हेतु निर्देशित किया गया ।
4. विश्वविद्यालय में अमृत फार्मेसी काउन्टर स्थापित करने हेतु मेसर्स एच0एल0एल0 लाइफकेयर लि0 से प्राप्त एम0ओ0यू0 विचार विमर्श हेतु 13वी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया ।
5. कार्यपरिषद से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में एच0एल0एल0 लाइफकेयर लि0 को पत्रांक 737/एमएस/यूपीयूएमएस/25–26 दिनांक 21 अक्टूबर 2025 के द्वारा विश्वविद्यालय में अमृत फार्मेसी स्थापित किये जाने हेतु अनुबंध की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
6. दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई एवं एचएलएल लाइफकेयर लि0 के बीच एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया ।
7. एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होने के पश्चात चिकित्सा अधीक्षक ने कनिष्ठ अभियंता एवं ड्राफ्ट मैन के साथ संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करते हुए 1517 स्कावयर फिट के स्थान का चयन किया गया, जिसमें से एरिया 1020 स्कावयर फिट निर्माण कार्य हेतु एवं 497 स्कावयर फिट पेशेंट एक्सटेंशन हेतु चयनित किया गया है ।
8. अमृत फार्मेसी हेतुं चिन्हित स्थान का मानचित्र बनाने के लिए कनिष्ठ अभियंता श्री शोभित (जो सिपिल अभियंता की अनुपस्थिति में उनका कार्य देख रहे थे) एवं ड्राफटमैन श्री यदुवंशी यश को निर्देशित किया गया ।
9. उक्त निर्देशानुसार श्री यदुवंशी यश, ड्राफटमैन के द्वारा बनाए गए मानचित्र को अधिशासी अभियंता के द्वारा चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में दिनांक 21.11.2025 को प्रेषित किया गया ।
10. उक्त प्रेषित मानचित्र को अनुबंधित फर्म एचएलएल लाइफकेयर लि0 को पत्रांक 3049/यूपीयूएमएस/सीसी(2051–सीडी)/2025–26 दिनांक 22 नवम्बर 2025 को अमृत फार्मेसी की स्थापना एवं संचालन हेतु विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियन्ता से प्रोजेक्ट एप्रूवल के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित

प्रो० (डॉ०) अमित सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
उ० प्र० आ० वि० वि०, सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University of Medical Sciences
Saifai, Etawah

	करने हुए 06 सप्ताह में करने हेतु निर्देशित किया गया । **प्रस्ताव** :– अमृत फार्मेसी प्रारम्भ करने हेतु अधिशासी अभियंता द्वारा संबंधित फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त निर्माण कार्य को अपने पर्यवेक्षण में किए जाने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निर्णयार्थ ।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः–_ हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा अधिशासी अभियंता से अमृत फार्मेसी के निर्माण कार्यो हेतु चिन्हित स्थल का स्थलीय परीक्षण करते हुए उक्त स्थल पर भूमिगत पाइप लाइन एवं विद्युत लाइन इत्यादि की निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्तता से संबंधित आख्या प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी ।

एजेण्डा बिंदु 1.12
चिकित्सालय के वार्ड/आईसीयू में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज के बाद मरीजों की Case Sheet File में प्रपत्रों को क्रमानुसार संरक्षित एवं प्रमाणित करवाते हुए चिकित्सा अभिलेख विभाग में जमा करवाने के संदर्भ में ।

प्रस्तावना :– चिकित्सालय के वार्ड/आईसीयू में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज के बाद मरीजों की Case Sheet File में प्रपत्रों को पूर्ण करवाते हुए निम्नलिखित क्रमानुसार संरक्षित एवं प्रमाणित करते हुए चिकित्सा अभिलेख विभाग में जमा करवाया जाएगा जिससे भविष्य में कोई मेडिकोलीगल इश्यू उत्पन्न होने पर संबंधित नर्सिंग संवर्ग एवं चिकित्सकों को असुविधा का सामना न करना पड़े । –

1. GATE PASS
2. DISCHARGE CARD
3. DISCHARGE SUMARY(HIMS)
4. PATIENT FEEDBACK FORM -HOSP / GEN-15
5. CONSENT FORM -HOSP / OT-26
6. PRE-OPERATIVE CHECKLIST -HOSP / OT-27
7. REQUISITION FORM FOR INTER DEPARTMENTAL CONSULTATION - HOSP / GEN-13
8. ALL INVESTIGAION FORMS
9. BLOOD TRANSFUSION FORM CLINICAL MONITORING SHEET -HOSP / GEN-09
10. TRANSFER IN-OUT FORM - HOSP/GEN-17
11. OPD SLIP
12. PATIENT ADMISION FILE -HOSP/CRR-05
13. HISTORY SHEET -HOSP/CRR-06
14. ALL PATIENT BILL
15. MEDICAL CASE SHEET -HOSP/GEN-10
16. NURSING CASE SHEET -HOSP/GEN-11
17. NURSING TREATMENT CHART -HOSP/GEN-24
18. VITALS CHART -HOSP/GEN-08
19. INTAKE OUTPUT CHART -HOSP/GEN-07
20. Other document like fom for Physiotherapy /Pvt Room requition form etc

प्रस्ताव : उक्त प्रकिया को सूचारू रूप से करने हेतु निम्नलिखित बिंदु प्रस्तावित हैः–

1. उक्त क्रमानुसार प्रपत्रों को संरक्षित करने का कार्य संबंधित विभाग में कार्यरत रेजीडेंट एवं संबंधित ए0एन0एस0 द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. सहायक नर्सिंग अधीक्षक/अधीक्षिका (इंचार्ज) द्वारा एम0आर0डी0 में मरीज की फाइल जमा करने से पहले एम0आर0डी0 डिस्पैच रजिस्टर में फाइल के कुल

प्रो० (डॉ०) अमित सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
उ०प्र०आ०वि०वि०, सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Saifai - Etawah

	पेज का अंकन करने के उपरांत एम0आर0डी0 में फाइल जमा करवाते हुए उक्त की प्राप्ति लेना सुनिश्चित किया जाएगा। 3. एम0आर0डी0 मरीज के डिस्चार्ज के बाद केसशीट प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रपत्र फाइल में क्रमानुसारएवं पेजिंग से रक्षित है अथवा नहीं अन्यथा की दशा में केसशीट फाइल पर नोट डालकर संबंधित विभाग को पूर्ण करवाने हेतु प्रेषित करेगा।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः–	हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी ।
एजेण्डा बिंदु 1.13 विश्वविद्यालय परिसर में 1422 नग सी0सी0 टी0वी0 कंट्रोल रूम के साथ स्थापित कराये जाने के संबंध में।	**पृष्ठभूमि :** विश्वविद्यालय में गत वर्ष 205 नग कैमरे Centralised Monitoring के साथ यू0पी0डेस्को के माध्यम से लगवाये गये थे तथा इससे पूर्व भी आवश्यकता अनुरूप अलग–अलग भवनों में कुछ कैमरे स्थापित किये गये थे। विश्वविद्यालय परिसर की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल के अनुसार और अधिक कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता है। मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.08.2025 को बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय परिसर का भौतिक सर्वेक्षण करते हुए लगाये जाने वाले कैमरो की आवश्यकता का निर्धारण किया जाये । तद्क्रम में विश्वविद्यालय के डा0 सुनील कुमार, प्रोफेसर आर्थोपेडिक (फैकल्टी इंचार्ज– सुरक्षा), डा0 राफे अब्दुल रहमान (फैकल्टी इंचार्ज सी0सी0टी0वी0), श्री रमन कुमार जे0ई0 (टेलीकॉम), श्री रूपेश कुमार, सहायक सुरक्षा अधिकारी, श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी, श्री प्रेमपाल सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा भौतिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के चिकित्सालय परिसर, मेडिकल कॉलेज परिसर, पैरामेडिकल कालेज परिसर, एकेडमिक ब्लॉक (मेडिकल एवं पैरामेडिकल कॉलेज परिसर), प्रशासनिक भवन, ट्रॉमा सेंटर, ओल्ड ओ0पी0डी0, न्यू0ओ0पी0डी0, छात्रावासों तथा आवासीय परिसरों एवं कनेक्टिगं सड़कों में कुल 1422 नग कैमरे लगाये जाने का आकलन किया गया। **प्रस्तावनाः–** विश्वविद्यालय द्वारा यू0पी0डेस्को लखनऊ को पत्र सं0 2157/ई/यूपीयूएमएस/ सी0ए0सी0(2130–सीडी) /2025–26 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा परिसर में पूर्व से स्थापित सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम में अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराए जाने के संबंध में संलग्न सूची में वर्णित स्थानों का सर्वेक्षण कराते हुए वित्तीय एवं तकनीकी अगणन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में यू0पी0डेस्को लखनऊ द्वारा पत्र सं0 डी0 25–26/2306 दिनांक 26.09.2025 के माध्यम से धनराशि रू0 966.45 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया। परीक्षणोपरान्त उक्त आगणन की धनराशि रू0 935.72 लाख आकलित की गई। विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किये जाने के उद्देश्य से 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कैमरे कंट्रोल रूम सहित स्थापित किये जाने का कार्य यू0पी0 डेस्कों के माध्यम से कराये जाने हेतु, जिस पर कुल रू0 935.72 लाख व्यय विश्वविद्यालय की आय/बचत से किया जाएगा का कार्यपरिषद की 13वी बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया । उक्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा यूपीडेस्को को कार्य आदेश सं0 2994/ई/सीएसी(2303–सीडी)/2025–26 दिनांक 17.11.2025 जारी किया गया था एवं उक्त कार्य आदेश को प्रशासनिक कारणों से पत्र संख्या 3046/ ई/यूपीयूएमएस /सीएसी (2303 –सीडी) /2025–26 दिनांक

प्रो० (डॉ०) ... सिंह
चिकित्सा अधीक्षक
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences
Safai - Etawah

	22/11/2025 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक निरस्त कर दिया गया । **प्रस्ताव** :– विश्वविद्यालय द्वारा यू0पी0डेस्को लखनऊ को पत्र सं0 2157/ई/यूपीयूएमएस /सी0ए0सी0(2130–सीडी) /2025–26 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा परिसर में पूर्व से स्थापित सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम में अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराए जाने के संबंध में संलग्न सूची में वर्णित स्थानों का सर्वेक्षण कराते हुए वित्तीय एवं तकनीकी अगणन उपलब्ध कराने हेतु ही अधिकृत किया गया था अत : उक्त कार्य को यू0पी0डेस्को की बजाए ओपेन टेंडर के माध्यम से कराए जाने की अनुमति या अन्य पीएसयू फर्म को पीएमसी (Project Management Consultant) नामित करते हुए उनसे साइट सर्वे, डी0पी0आर0 एवं बी0ओ0क्यू0 मॅगवाकर तुलनात्मक आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित करते हुए उक्त कार्य करवाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त कार्य को को directly यू0पी0डेस्को के माध्यम से कराने के बजाए ओपेन टेंडर के माध्यम से कराने हेतु प्रस्ताव को सम्यकविचारोपरांत संस्तुति प्रदान करते हुए कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

एजेण्डा बिंदु 1.14 विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग /टेली रिर्पोटिंग एवं USG/Doppler USG/ USG Guided Biopsy/ Drainage/FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति विषयक ।	**प्रस्तावना** :– विश्वविद्यालय में PPP model पर CT Scan व MRI की सुविधा उपलब्ध है, किंतु रेडियोलॉजी विभाग में कोई भी रेडियोलॉजिस्ट तैनात नहीं है, काफी प्रयासों के बावजूद स्वीकृत पदों हेतु रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजी विभाग हेतु सृजित पदों का विवरण निम्नवत है :– प्रोफसर – 2 एसोसिएट प्रोफेसर – 8 असिस्टेंट प्रोफेसर – 17 विश्वविद्यालय में पीपीपी मॉडल पर स्थापित CT Scan/MRI हेतु वर्तमान में टेलीरिर्पोटिंग की सुविधा फर्म द्वारा प्रदान की जा रही है । विश्वविद्यालय में ट्रामा बिल्डिंग में पूर्व से सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित है एवं एमआरआई मशीन की स्थापना भी शीघ्र प्रस्तावित है। अतः उक्त सी0टी0/एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग /टेली रिर्पोटिंग एवं USG/Doppler USG/ USG Guided Biopsy/ Drainage/FNAC इत्यादि हेतु प्रति केस पारिश्रमिक के आधार पर रिर्पोटिंग करने अथवा प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए/ सप्ताह में कुछ दिनों के लिए रेडियोलॉजिस्ट आवश्यक्ता है। **प्रस्ताव** :– विश्वविद्यालय में जब तक नियमित रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए ओपेन सर्विस टेंडर/वाक इन इंटरव्यूह के माध्यम से किसी रेडियोलॉजिस्ट को प्रति केस पारिश्रमिक के आधार पर लेने हेतु निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित 05 सदस्यीय समिति के

Pro Vice Chancellor
U P University Of Medical Sciences

द्वारा उक्त प्रस्ताव हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य करते हुए समस्त पहलुओं पर विचारोपरान्त अपना सुस्पष्ट प्रस्ताव देने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी :–

1. एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0, आर0एम0एल0 एवं प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन।
2. ऑन साइट प्रति केस USG एवं एम0आर0आई0/सी0टी0 स्कैन प्रति केस Tele-Reporting के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण।
3. मरीज हित में प्रतिदिन/सप्ताह में कुछ निर्धारित दिवसों में या तो 9 से 5 बजे अथवा कुछ घंटों हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा लिए जाने हेतु ।

<u>एजेण्डा बिंदु 1.15</u> 128 slices CT Scan (PPP) का लोकार्पण ।	**<u>प्रस्तावना</u> :–** उक्त एजेण्डा बिंदु के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड ऑफ गर्वनर की प्री बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त मशीन का लोकर्पण मा0 मंत्री जी द्वारा ऑन लाइन जूम के माध्यम से किया जाएगा । **<u>प्रस्ताव</u> :–** बोर्ड ऑफ गर्वनर की बैठक के समय ऑन लाइन जूम के माध्यम से सी0टी0 स्कैन मशीन का लोकर्पण करवाने हेतु ।
<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>:– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त प्रस्ताव हेतु संस्तुति प्रदान की गयी ।	
<u>एजेण्डा बिंदु 1.16</u> विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त अन्य विविध प्रकरण ।	**<u>प्रस्तावना</u> :–** पत्रांक संख्या 786/यूपीयूएमएस/एमएस/2025–26 दिनांक 06 नवम्बर, 2025 एवं पत्रांक संख्या 862/यूपीयूएमएस/एमएस/2025–26 दिनांक नवम्बर, 2025 के द्वारा समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों से हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जाने हेतु एजेण्डा बिंदु मांगे गए थे । तद्क्रम में एजेण्डा बिंदु उपलब्ध कराए गए विभागों की सूची निम्नवत है :–

क्रमांक	विभाग का नाम	प्रेषित दिनांक
1	रेडियोडायग्नोसिस	24.11.25
2	स्त्री एवं प्रसूति रोग	22.11.25
3	ऑप्थलमोलॉजी	21.11.25
4	रेडिएशन ऑनकोलॉजी	21.11.25
5	पीएमआर विभाग	20.11.25
6	डर्मेटोलॉजली	20.11.25
7	बायोकेमिस्ट्री	18.11.25
8	माइक्रोबॉयलॉजी	14.10.25
9	साइकेट्री	13.10.25
10	न्यूरोसर्जरी	14.10.25
11	बाल रोग	11.10.25
12	ई0एन0टी0	12.11.25

... अमित सिंह
... अधीक्षक
उ0प्र0 आ0 वि0 वि0, सैफई, इटावा

Pro Vice ...
U P University of Medical Sciences
Saifai, Etawah

13	यूरोलॉजी	12.11.25

प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय के 13 विभागों द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं पर निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित है :–

1. एक Internal Development Committee गठित करके विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में मॉडिफिकेशन / अतिरिक्त कन्सट्रक्सन की आवश्यक्ताओं हेतु मांग प्राप्त की जाए, उक्त मांगों का सर्वेक्षण करा लिया जाए एवं तत्पश्चात समस्त कार्यो हेतु टेंडर किया जाए ।
2. विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक के द्वारा ओटी में मॉडीफिकेशन हेतु दिए गए बिंदु पर विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त करते हुए उक्त प्रस्ताव को हॉस्पिटल बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाए।
3. विभागों द्वारा ऐसे प्रोसिजर जिनके हेतु प्रथम बार शुल्क निर्धारित किया जाना उक्त हेतु एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0 से दर प्राप्त करते हुए एल–1 दर को आधार मानते हुए शुल्क निर्धारित किया जाए, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0 से दर प्राप्त न होने की दशा एम्स दिल्ली के दर प्राप्त किए जाए एवं एम्स दिल्ली से उक्त प्रोसीजर हेतु दर प्राप्त न होने की दशा में सी0जी0एच0एस0 में उक्त प्रोसीजर हेतु निर्धारित दरों को लिया जाए।
4. विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक विभाग Human Milk Bank की स्थापना हेतु उसी बिल्डिंग के किसी भी तल पर उपयुक्त स्थान चिन्हित करके विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी ।

टेबल एजेण्डा बिंदु 1.17 विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग तथा तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों की ए0पी0ए0आर0 में प्रतिवेदक अधिकारी / समीक्षक अधिकारी का निर्धारण।	**प्रस्तावना** :– विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों की ए0पी0ए0आर0 के प्रतिवेदन अधिकारी वर्तमान में मुख्य नर्सिंग अधिकारी नामित है तथा तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों की ए0पी0ए0आर0 में प्रतिवेदन अधिकारी चिकित्सा अधीक्षक नामित है। इस स्थिति में उक्त कार्मिकों के कार्य की समीक्षा उनके तैनाती स्थल पर संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा नही की जा पा रही है जिससे कार्यस्थल पर अनुशासन बनाये रखने में विभागाध्यक्षों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। **प्रस्ताव** :– अतः प्रस्तावित है कि उक्त कार्मिकों के प्रत्यावेदक अधिकारी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को नामित किया जाये।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यंकविचारोंपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के समुचित निवारण हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये जो कि प्रकरण के समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिर्पोट हॉस्पिटल बोर्ड की अगली बैठक में संस्तुति हेतु प्रस्तुत करें।

टेबल एजेण्डा बिंदु 1.18 पैरामेडिकल महाविद्यालय में आवश्यकता अनुसार	**प्रस्तावना** :– विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल महाविद्यालय में छात्रों, फैकल्टी तथा कार्मिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था करना। **प्रस्ताव** :– अतः प्रस्तावित है कि पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय में छात्रों, फैकल्टी

यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा
Pro Vice Chancellor
U P University of Medical Sciences
Saifai Etawah

दुकानों को खोला जाना।	तथा कार्मिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्व से निर्मित दुकानों को संचालित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः— हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यंक विचारोंपरांत पूर्व से निर्मित दुकानों को संचालित किये जाने हेतु निविदा/Auction के माध्यम से फर्मो का चयन करने हेतु संस्तुति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि एक ही प्रकार की दो दुकानें न हो जिससे अधिक से अधिक प्रकार की दुकानों को खोला जा सके। संकायाध्यक्ष पैरामेडिकल, नर्सिंग तथा फार्मेसी संयुक्त रूप से प्रकरण पर विचार—विमर्श करते हुए आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्रेषित करें।	
टेबल एजेण्डा बिंदु 1.19 दन्त चिकित्सा संकाय हेतु स्थल चिन्हित किये जाने के संबंध में।	**प्रस्तावना :**— विश्वविद्यालय के दन्त चिकित्सा संकाय हेतु दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय परिसर में स्थल चिन्हित किया जाना। **प्रस्ताव :**— अतः प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय के दन्त चिकित्सा संकाय हेतु दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय परिसर में खाली स्थल को चिन्हित करते हुए दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः— हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यंकविचारोंपरांत निर्णय लिया कि एक समिति जिसमें संकायाध्यक्ष दन्त चिकित्सा संकाय, विभागाध्यक्ष पेरियोडेन्टोलॉजी, अधिशासी अभियन्ता तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से पैरामेडिकल महाविद्यालय परिसर में खाली स्थलों का आवश्यकतानुसार निरीक्षण करते हुए दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिर्पोट 15 दिवसों में प्रस्तुत करें। जिसे आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।	
टेबल एजेण्डा बिंदु 1.20 विश्वविद्यालय के नवनियुक्त गैर—शैक्षणिक कार्मिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।	**प्रस्तावनाः** विश्वविद्यालय के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को उनके योगदान की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व किसी अन्य संस्था में आवेदन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने विषयक उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—2 के शासनादेश दिनांक 17.06.2021 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों को विश्वविद्यालय के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों पर लागू किया गया है। विश्वविद्यालय के नवनियुक्त गैर—शैक्षणिक कार्मिकों द्वारा आयेदिन अन्यत्र विभागों में आवेदन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाता है। विगत वर्षों में यह देखा गया है कि नर्सिंग एवं तकनीकी संवर्ग के बहुत अधिक संख्या में विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत विश्वविद्यालय से त्यागपत्र देकर जा चुके हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय की चिकित्सीय सेवायें प्रभावित हो रही हैं। उदाहरणतः नर्सिंग संवर्ग में विगत 2 वर्षों में विज्ञापित विज्ञापन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों में से 64 प्रतिशत नर्सिंग कार्मिकों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की भांति नवनियुक्त गैर—शैक्षणिक कार्मिकों को उनके योगदान की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व

Pro Vice Chancellor
U P University of Medical Sciences
Saifai - Etawah

	किसी अन्य संस्था/विभाग में आवेदन हेतु उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 17.06.2021 में विहित व्यवस्था के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त के अतिरिक्त यदि कोई नवनियुक्त कार्मिक 02 वर्ष की निर्धारित अवधि में त्यागपत्र देता है तो सक्षम स्तर के अनुमोदन से उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जायेगा किन्तु त्यागपत्र पत्र को तकनीकी त्यागपत्र नहीं माना जायेगा और भविष्य हेतु उनकी सेवा जोड़े जाने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्यपरिषद की बैठक में रखने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी ।	
टेबल एजेण्डा बिंदु 1.21 विश्वविद्यालय की Sleep Lab का नाम बदलकर Sleep Disorders Center करने एवं Sleep Disorders Center की SOP निर्धारित करने हेतु।	**प्रस्तावना एवं प्रस्ताव** :– दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित स्लीप लैब की बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त निमलिखित बिंदुओ पर सहमति प्रदान की गयी – 1. Sleep Disorders Center को ट्रामा एवं इमरजेंसी से स्थानांतरित कर सुपरस्पेशलिटी भवन में उपयुक्त क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाय। 2. Sleep Disorders Center चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा, तथा अन्य योगदान देने वाले विभागों के नामित प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगें। 3. Sleep Disorders Center के सुगमतापूर्वक संचालन हेतु एस0ओ0पी0 एम्स न्यू दिल्ली में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार बनाई गयी है। उक्त बैठक के उपरान्त सम्बन्धित सभी विभागाध्यक्षों एवं सम्बन्धित फैकल्टी के साथ आयोजित बैठकों में किए गये विचार–विमर्श के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी :– (A) विश्वविद्यालय में स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर जब तक चयन नहीं हो जाता है तब तक 06 नर्सिंग ऑफीसर की तैनाती Sleep Disorders Center में शिफ्ट ड्यूटी में किया जाय जिन्हें Sleep Disorders Center के कार्यो को सुगमतापूर्वक संचालन हेतु योगदान देने वाले विभागों के नामित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। (B) विश्वविद्यालय में संचालित Sleep Lab का नाम बदलकर Sleep Disorders Center किये जाने पर भी सहमति बनी।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त समस्त बिंदुओं पर संस्तुति प्रदान की गयी ।	

बैठक हॉस्पिटल बोर्ड के समस्त सदस्यों को आभार व्यक्त करते हुए सम्पन्न हुई ।

प्रो0 ... सिंह
चि...
यू.पी.यू.एम.एस., सैफई, इटावा

Pro Vice ...
U P University of Medical Sciences
Saifai, Etawah

हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 (उपस्थिति)

S.N.	Name	Desig	Sign
1	Prof (Dr.) Ramakant Yadav	PVC	[signature]
2	Prof (Dr.) Adesh Kumar	Dean (M)	
3	Prof (Dr.) S.P. Singh	C.M.S.	[signature]
4	Prof (Dr.) Amit Singh	M.S.	[signature]
5	Prof Dr Sunil Kumar	HOD (Ortho)	[signature]
6	Prof Dr. Jitendra Chauhan	HOD ENT	[signature]
7	Dr. Aditya Shridhar	Officer incharge Blood bank	[signature]
8	Dr. Vinay Kanaujia	Asso. Prof, PMR	[signature]
9	Dr Alice Mishra, Radiation Oncology	Asso Prof	[signature]
10	Dr. A.K. Mishra.	Prof & HOD Psychiatry	[signature]
11	Dr Prashant kr. Mishra	Prof & HOD Emg	[signature]
12	Anuradha Singh	Chief pharmacist	[signature]
13	manoj kumar maurya	MSSO Gr-I	[signature]
14	Dr Meenu	Ophthal	[signature]
15	Dr Sanjay kumar Gupta	A.P Neurosurgery	[signature]
16	Dr Manoj Kumar		[signature]
17	Dr Atul Saxena Plastic Surgery	Associate Professor	[signature]
18	Dr. Rashmi	Asso-prof.	[signature]
19	Dr. Sweta S. Kumar (Dermatology)	Prof (JR)	[signature]
20	Dr. [illegible]	Prof & HOD	[signature]
21	Dr. Durgesh Kumar (Pediatrics)	Prof (Jr. Gr.)	[signature]
22	Dr. Dinesh Kumar P.	Prof & head	[signature]

हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 (उपस्थिति)

S.N.	Name	Desig	Sign
24	Dr. Mubashir Ali Khan	Prof. व प्र	[signature]